मीडिया समन्वयक कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति 27 मार्च 2018

जामिया मिल्लिया के अल्पसंख्यक दर्जे को बरक़रार रखने में विश्वविद्यालय कोई कोर क़सर नहीं छोड़ेगा : जेएमआई वीसी

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर प्रो तलत अहमद ने समुदाय के स्वयंभू नेताओं की आलोचनाओं को खारिज करते हुए आज कहा कि विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को बरक़रार रखने की दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही क़ानूनी लड़ाई में कोई क़सर बाक़ी नहीं रखी जाएगी। केन्द्र सरकार ने जेएमआई के अल्पसंख्यक दर्जे को चुनौती देते हुए अदालत में एक संशोधित हल्फनामा पेश किया है।

उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि कि समुदाय के कुछ स्वयंभू नेता ऐसी अफवाहें फैला रहें हैं कि एका आध साल में वह रिटायर होने जा रहे हैं, इसलिए सरकार से '' कोई बड़ा पद पाने की लालच में '' जेएमआई के अल्पसंख्यक दर्जे का बचाव नहीं कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में 2011 से लंबित जेएमआई के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में अदालत से पूर्व का हल्फनामा वापस लेकर अल्पसंख्यक दर्जे का विरोध करने वाला एक नया संशोधित हल्फनामा दाखिल किया है।

आरोपों से आहत दिख रहे वाइस चांसलर ने कहा जामिया मिल्लिया इस्लामिया कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप संशोधित हल्फनामे के खिलाफ अपनी आपत्तियों को दर्ज कराएगा। उन्होंने कहा कि अदालत के रिकार्ड दर्शाते हैं कि सरकार के संशोधित हल्फनामें के बारे में एडवांस नोटिस सिर्फ याचिकाकर्ता के वकील को उपलब्ध कराया गया और जेएमआई को नहीं।

उन्होंने कहा कि जेएमआई को जब संशोधित हल्फनामे के बारे में अदालत की ओर से कोई अग्रिम जानकारी ही नहीं दी गई तो उस समय अदालत में जेएमआई की ओर से वकील कैसे उपस्थित होता और कैसे आपत्ति दर्ज कराता।

जेएमआई के पूर्व छात्रों के संगठन :एएजेएमआईः की पहली आम सभा में प्रो अहमद ने कहा कि इन तथ्यों को जाने बिना या उसे जानबूझ कर नज़रअंदाज़ करके समुदाय के स्वयंभू नेताओं की ओर से जेएमआई प्रशासन पर मनगढ़ंत आरोप लगाना निंदनीय है।

प्रो अहमद ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ निहित स्वार्थ वाले लोगों ने जेएमआई और उसके प्रशासन को बदनाम करने की नीयत से झूठ का प्रचार अभियान चलाया हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ जेएमआई और समुदाय के हितों को ही नुक़सान पंहुचेगा।

जेएमआई ने स्पष्ट किया है कि यह उच्च न्यायालय में मामला ' नियमित सुनवाई ' के तहत सूचीबद्व है और इस पर सुनवाई शुरू होते ही विश्वविद्यालय अपने अल्पसंख्यक दर्जे का पुरज़ोर बचाव करेगा।।

उन्होंने कहा, यह निंदनीय है कि उक्त तथ्यों और कानूनी स्थिति को दरकिनार करते हुए कुछ तत्व अल्पसंख्यक दर्जे के पक्ष में जेएमआई के रूख को गुमराह कर रहे हैं।

प्रो अहमद ने कहा कि जेएमआई ने पिछले कुछ सालों में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वह 12 वें स्थान पर है। इसके कई विभाग देश भर में ख्याति प्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि वह विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता में क्षमतावान बनाने के लिए काम करते रहेंगे।

प्रो साइमा सईद

मीडिया कोऑर्डनैटर